

215

635 01/02/12
28.10.12

64

सितम्बर 13-12



राजस्थान-राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

सामंभिक प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 22 गुरुवार, शके 1934- सितम्बर 13, 2012

Bhadra 22 Thursday, Saka 1934 September 13, 2012

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (11)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा
अधिसूचना

जायपुर, सितम्बर 7, 2012

एस.ओ. 133 :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (2), धारा 18 की उप-धारा (5) और धारा 19 की उप-धारा (5) के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

[संख्या प. 21(19)ऐजु-1/ई.ई./09]

राज्यपाल की आज्ञा से,

School and Sanskrit education
Notification

आर. सी. धेनवाल,
शासन उप सचिव।

Jaipur, September 7, 2012

S.O. 133 :- In exercise of the powers conferred by the section 36 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government hereby authorises the Director, Elementary Education, Rajasthan, Bikaner as Competent Authority to accord the prosecution sanction for offences punishable under sub-section (2) of section 13, sub-section (5) of section 18 and sub-section (5) of section 19 of the said Act.

[No. F. 21(19)Edu-1/E.E./09]

By the Order of the Governor,
R.C. Dhenwal,

Deputy Secretary to the Government.